

FORM NO-III**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

मुकाम

अजमेर

अज अदालत - जिला कलक्टर

अजमाल बनाम देवी व अन्य

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि 1956 प्रकरण संख्या 10/2013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकील अपीलांट ने रेस्पोंडेन्ट की 1 व 2 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश करने हेतु समय चाहा । रेस्पोंडेन्ट के अभिभाषक ने पत्रावली पर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुति दिनांक 26.04.2013 के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 18.01.2018, 15.02.2018, 12.04.2018, 10.05.2018, 7.6.2018, 5.07.2018, 2.08.2018, 06.09.2018, 06.12.2018, 10.01.2019, 14.02.2019, 15.03.2019, 02.05.2019, 13.06.2019, 18.07.2019, 22.08.2019, 26.09.2019, 31.10.2019, 05.12.2019, 16.01.2020, 20.02.2020, 30.07.2020, 5.11.2020, 17.12.2020, 29.1.2021, 25.02.2021, 01.4.2021, 29.04.2021, 27.05.2021, 1.07.2021, 10.10.22, 14.11.2022, 05.12.2022, 2.1.2023, 16.1.2023, 27.3.2023, 12.6.2023, 3.07.2023, 23.10.2023, 1.1.2024, की पालना में रेस्पोंडेन्ट 1 व 2 के नोटिस तलबाना पेश नहीं किये हैं। तत्पश्चात् दिनांक 05.02.2023, 18.03.2023, को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी आदेश की पालना नहीं की गई, जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे रेस्पोंडेन्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय प्रभावी आदेशिका 18.03.2024 के बावजूद लगभग 40 से अधिक अवसर प्राप्त किये जाने एवं 06 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई। जिससे अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाये जाने में ना तो किसी प्रकार की रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है । इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

डॉ. भारत दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर